कितना खरा उतरेगा स्वच्छ भारत अभियान?

नित्यानंद जयरामन

नई सरकार द्वारा देश में शुरू किया गया स्वच्छता अभियान अपनी सरलता में जितना असरकारक है, उतना ही समस्यामूलक भी है। अभियान को लेकर बारीकियों के अभाव और नरेन्द्र मोदी के उपभोक्तावादी विकास के एजेंडे व स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्यों के बीच निहित विरोधाभासों ने ही मुझमें संदेह के बीज बोए हैं। साथ ही कई सवाल भी खड़े किए हैं; जैसेः भारत के किस हिस्से को स्वच्छ बनाया जाएगा, किसे नहीं? क्यों स्वच्छ नहीं बनाया जाएगा? जो गंदगी हम हटाएंगे, उसका क्या करेंगे? इस गंदगी को हम कहां रखेंगे? इत्यादि।

अगर स्वच्छता अंतिम नतीजा है तो हमें शुरुआत गंदगी से करनी होगी। वर्ष 1966 में मानव विज्ञानी मैरी डगलस ने अपनी क्लासिक पुस्तक '*प्यूरिटी एंड डेंजर*' में लिखा है - 'अगर हम गंदगी की अपनी धारणा को स्वच्छता और रोगजनकता में तबदील कर सकें तो हमारे पास गंदगी की वही पुरानी परिभाषा रह जाती है यानी वह पदार्थ जिसे हमें दूर हटाना है...इससे दो स्थितियां सामने आती हैंः एक, व्यवस्थित सम्बंधों का एक सेट और दूसरा, उस व्यवस्था को तोड़ना।'

अगर भारत के संदर्भ में देखें तो स्वच्छता नामक यह शब्द जाति की धारणा के साथ जुड़ा है, जिसे सामाजिक और भौतिक विवेचना में शुद्ध और अशुद्ध के रूप में सजा-संवार दिया गया है। यानी इस संदर्भ में स्वच्छता को तभी हासिल किया जा सकता है जब हम स्वच्छ और अस्वच्छ को अलग-अलग रखकर देखें।

केवल वस्तु या स्थान ही अस्वच्छ, अशुद्ध, गंदे या भद्दे नहीं होते। जब पिछली बार तमिलनाडु में डीएमके सत्ता में थी, उस समय तत्कालीन स्थानीय प्रशासन मंत्री एम.के. स्टालिन ने 'सिंगारा चेन्नई' (सुंदर चेन्नई) नामक अभियान शुरू किया था। स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही किसी स्थान को सुंदर बनाने के अभियान के खिलाफ दलील देना काफी मुश्किल है। लेकिन सुंदरता या गंदगी तो देखने वाले की आंखों में होती है। 'सिंगारा चेन्नई' अभियान के बाद भी जहां तक कूड़ा-करकट का सवाल है, चेन्नई में कोई अंतर नहीं आया है। आज भी जगह-जगह कूड़े-करकट के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन शहर की सुंदरता के नाम पर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले कम से कम 20 हज़ार परिवारों को हटा दिया गया। उन्हें कन्नगी नगर और सेमेरचेरी जैसे स्थानों पर अस्थायी ठिकानों पर बसाया गया, जो चेन्नई से 20 से 30 कि.मी. दूर हैं। गंदगी या कचरा तो महज़ एक उपमा है, जिसे लोगों पर भी लागू किया जा सकता है।

अतीत के अनुभवों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ऐसे अभियान जिनके नारों के साथ उपशीर्षक या चेतावनियां न हों, वे सतही नारे ही बने रहेंगे। वे अतीत में चले आ रहे अन्याय को बनाए रखेंगे और जातिवाद के आधुनिक रूप को और भी मज़बूती के साथ स्थापित करेंगे।

नरेन्द्र मोदी ने स्कूली बच्चों और सरकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए उन्हें याद दिलाया कि अपने आस-पास सफाई बनाए रखना राष्ट्रसेवा के बराबर है - 'अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की

सेवा करें।' गंदगी को दूर कर उसे कहां फेंका जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन अगर गंदगी का मतलब उसे एक स्थान से हटाना है तो इसका अर्थ है कि उसे उसके सही स्थान पर रखना होगा।

तमाम आधुनिक संस्कृतियों में सफाई का मतलब केवल इतना ही है कि 'गंदगी' को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख देना। पांच दशक पहले सफाई शायद ज़्यादा आसान थी। सफाई का मतलब यह था कि जैविक अपशिष्ट पदार्थों, जैसे पेड़-पौधों की पत्तियों इत्यादि को सही स्थान जैसे ज़मीन के भीतर रख देना ताकि वह खाद में बदल सके। पिछले दो दशकों में भारत गांवों में रहने वाले एक उनींदे राष्ट्र से जागकर बढ़ती शहरी आबादी वाली एक आर्थिक शक्ति में बदल गया है। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि भारतीयों का प्रकृति के साथ एक विशेष सम्बंध और प्रकृति के प्रति एक खास आस्था है। लेकिन इसके बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि चाहे अमरीकी हों या भारतीय, चाहे हिन्दू हों या मुस्लिम, हम सभी उपभोगवादी धर्म के भी उपासक हैं। हम जैसे होते हैं, हमारा कचरा भी वैसा ही होता है। सालों पहले हमारा कूड़ा-करकट अमरीकी कूड़े-करकट से भिन्न हुआ करता था। लेकिन आज हमारे कूड़े में उन्हीं ब्रांड्स का अपशिष्ट, स्टायरोफोम व प्लास्टिक जैसा नष्ट न होने वाला कचरा बढ़ता जा रहा है जो अमरीकी लैंडफिल्स में भी मिलता है।

गंदगी तो रूपक है

चेन्नई शहर से रोज़ाना 6000 टन से भी अधिक मिश्रित कचरा कोडुनगैयूर में डंप किया जाता है। कोडुनगैयूर कभी वेटलैंड हुआ करता था। गंदगी का यह विशालकाय ढेर आपकी देखने और सूंघने की इंद्रियों को पस्त कर देता है। कचरे का यह पहाड़ इतना ऊंचा हो गया है कि आसपास के इलाके में इतनी ऊंची तो कोई इमारत भी नहीं मिलेगी। ऐसे सभी लोग इस इलाके को छोड़कर जा चुके हैं जिनके पास विकल्प थे। वही लोग बचे हैं जिनके पास या तो रहने का कोई विकल्प नहीं है या आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है।

गंदगी के ढेर से निकलने वाले काले कीचड़ के ऊपर एक पैदल पुल बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल कचरा बीनने वाले और स्थानीय लोग इस लैंडफिल में पहुंचने के लिए करते हैं। यह जो काले कीचड़ का दलदल नज़र आता है, वह किसी समय कैप्टन कॉटन नहर हुआ करती थी। इस डंप साइट के करीब 100 मीटर अंदर एक मज़बूत दरवाज़ा नज़र आता है जिस पर मांगलिक चिंह बने हुए हैं। यह दरवाज़ा एक जीर्ण-शीर्ण घर की मुस्तैदी से सुरक्षा करता प्रतीत होता है जिसकी छत और दीवारें टूट-फूट गईं हैं। यह घर कामाच्छी देवी का है जिसका निर्माण उसने इसी कचरे की डम्प साइट में मिली चीज़ों से किया है। इस मकान से बमुश्किल पांच मीटर की दूरी पर लाल-नारंगी रंग की एक बदबूदार सड़ांध मारती नदी-सी बहती नज़र आती है। यह तरल उसी सड़ते हुए कचरे के पहाड़ से आता है जो उसके मकान के चारों ओर फैला हुआ है। इसी नदी के दूसरी ओर युद्ध के देवता मुरुगन का एक खंडहर-सा मंदिर बना हुआ है।

हवा की दिशा कैसी भी हो, कामाच्छी के घर को पूरे साल ज़हरीले बदबूदार झोंकों का सामना करना पड़ता है। उसका घर उन 15 दलित परिवारों के घरों में से एक है जो पनक्करा नगर में रहते हैं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि पनक्करा नगर का अर्थ है धनवान लोगों का नगर। हज़ारों लोग कचरे की इस साइट पर शहरी उपभोक्ताओं द्वारा फेंकी गई चीज़ों को छांटकर और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं।

डंप साइट के मुख्य प्रवेश स्थल के सामने सड़क के उस पार आर.आर. नगर बसा हुआ है। यहां करीब 1500 परिवार नारकीय स्थिति में रह रहे हैं। तमिलनाडु झुग्गी बस्ती उन्मूलन बोर्ड ने 1990 की शुरुआत में चेन्नई नगर निगम के सफाईकर्मियों के रहने के लिए आर.आर. नगर में मकान बनाए थे। लेकिन इन कर्मचारियों ने डंप साइट के सामने बने इन मकानों में जाने से इंकार कर दिया। अंततः यहां उन परिवारों को भेज दिया गया जिन्हें शहर के विकास की प्रक्रिया में जबरदस्ती हटा दिया गया था। यह

वही स्थान है जहां शहर का कचरा भी भेजा जाता है।

डंप साइट पर कचरा बीनने वाले, पनक्करा नगर व आर.आर. नगर में रहने वाले, सफाईकर्मी जिनके लिए सरकार ने डंप साइट के सामने मकान बनाए थे और जिनमें अंततः शहर के विस्थापितों को बसाया गया, इन तमाम लोगों में अधिकांश लोग अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं। कोडुनगैयूर एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है जहां बड़ी आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है।

वर्ष 2010 में एक वैधानिक पर्यावरणीय जनसुनवाई, जो इस डंप साइट के विस्तार और आधुनिकीकरण के मुद्दे पर की गई थी, में चेन्नई के तत्कालीन महापौर ने इस जगह पर कचरा फेंकने के पक्ष में एक अजीबो-गरीब दलील दी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे हमें अपने घरों में शौचालयों की ज़रूरत होती है, वैसे ही शहर के लिए भी शौचालय ज़रूरी है और स्थानीय लोगों को तो इस बात पर गर्व करना चाहिए कि वे अपने यहां डंप साइट बनाकर शहर की सेवा कर रहे हैं।

कोडुनगैयूर डंप यार्ड अनेक मामलों में अवैध है। इसे तमिलनाडु वायु एवं जल कानून के तहत तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैधानिक मंज़ूरी नहीं मिली है। इसे वर्ष 2000 में अधिसूचित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ नियमों का खुला उल्लंघन कर संचालित किया जा रहा है। कोडुनगैयूर में वर्ष 2012 में हवा के कुछ नमूनों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था। यहां की हवा में 19 प्रकार के ज़हरीले रसायन पाए गए थे। इनमें तीन रसायन तो कैंसरजनक थे। बच्चों में ल्युकेमिया पैदा करने वाली बेंज़ीन तो सुरक्षित स्तर से 50 गुना ज़्यादा थी। इस सम्बंध में एक मामला मद्रास उच्च न्यायालय में पिछले दस साल से भी ज़्यादा समय से लंबित है। इस मामले के इतने सालों तक लंबित रहना भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए शर्मनाक है।

ऐसा नहीं है कि इस तरह के डंप यार्ड बंद नहीं किए जा सकते। हाल के दिनों तक चेन्नई में दूसरा डंप यार्ड भी था। यह भी जलीय स्थल पल्लीकरनाई में बनाया गया था जो पेरुनगुडी में स्थित है। जबसे यहां कचरा फेंकना शुरू हुआ, पेरुनगुडी की जनांकिकी में भारी बदलाव आ गया। चेन्नई का प्रसिद्ध आईटी कॉरिडोर इसी जलीय स्थल पर बनाया जा रहा है और यह इस डंप यार्ड के काफी करीब है। जब इस डंप यार्ड में सड़ते हुए कचरे की बदबू संवेदनशील मध्यमवर्गीय और उच्च जातीय समाज के लोगों की नाक तक पहुंचने लगी तो सभी लोग हरकत में आ गए। पेरुनगुडी के प्रभावशाली लोगों ने चेन्नई नगर निगम के अधिकारियों को अपने यहां के डंप यार्ड को बंद कर कचरे को कोडुनगैयूर डंप यार्ड में ही फेंकने के लिए मजबूर कर दिया।

कहां आपको सफाई करनी है और कहां कचरा फेंकना है, इसका निर्धारण स्थापित सामाजिक व्यवस्था से होगा। यही सामाजिक व्यवस्था तय करती है कि कौन मूल्यवान है और किसकी कोई हैसियत नहीं है।

समस्या है समाजशास्त्रीय

कचरा और कचरे से निपटने के लिए जिस तरह के गलत तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उससे यह समस्या समाजशास्त्रीय ज़्यादा नज़र आती है। इस समस्या का कोई भी वास्तविक समाधान स्थापित सामाजिक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर सकता है। इसीलिए स्थानीय निकाय इंजीनियरिंग समाधान ही पसंद करते हैं, जिससे कि सामाजिक समस्या बनी रहती है। उच्च तबके के इंजीनियर्स को आधुनिक औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का निर्माण करने के लिए बुलाया जाता है। यह इंजीनियरिंग दखल कचरे की डंपिंग, उसे दफन या दहन करने के आधुनिक तरीकों तक ही सीमित रहता है। इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इंजीनियर्स अपने इन प्रयासों को सेनेटरी लैंडफिल या इंसीनरेटर्स नाम दे देते हैं। इन्हें कुछ भी कहा जाए, एक बात तय है। भारत जैसे जातिगत या अमरीका जैसे नस्लीय प्रभाव वाले समाजों में ये तथाकथित 'अत्याधुनिक' सुविधाएं भी उन स्थानों पर स्थापित नहीं की जाएंगी जहां 'हैसियत वाले लोग' रहते हैं। वे उन्हीं लोगों के बीच स्थापित की जाएंगी जो पहले से ही पारंपरिक कचरा प्रबंधन का भार ढोते आए हैं।

अमरीकी समाजशास्त्री मुरे मिलनर जूनियर का कहना है कि हमारे जैसे समाजों में कचरे के साथ जाति को जोड़ने

का मतलब यह मानना है कि कुछ मात्रा में गंदगी और अस्वच्छता अनिवार्य है। तो यहां रणनीति कचरे के इधर से उधर स्थानांतरण की होगी, उसके उन्मूलन की नहीं। मिलनर लिखते हैं कि जातिविहीन पश्चिमी समाजों में माना जाता है कि कचरे को नष्ट करके उसका उन्मूलन करना संभव है। दोनों की अपनी-अपनी सीमाएं हैं। पहले वाले मामले में सामाजिक समस्याएं बाधक बनती हैं तो दूसरे मामले में पर्यावरणीय दिक्कतों से दो-चार होना पड़ता है।

आर्थिक विकास को अक्सर उत्पादन में बढ़ोतरी और माल एवं सेवाओं के उपभोग में वृद्धि से जोड़ा जाता है। अर्थव्यवस्था में विकास की दर अक्सर इस बात से निर्धारित होती है कि प्राकृतिक संसाधनों का कितना अधिक से अधिक दोहन करके उपभोग लायक वस्तुओं में परिवर्तित किया जा रहा है, उनका उपभोग किया जा रहा है और उनका निस्तारण किया जा रहा है। यानी विकास की दर जितनी अधिक होगी, कचरा भी उतना ही अधिक होगा। उपभोग के बाद जो गंदगी निकलती है और जिसे लेकर झाड़ू घुमाने वाला मध्यमवर्ग चिंतित हो रहा है, वह तो बस ऊपरी झलक भर है। उपभोक्ता वस्तुओं (चाहे वह बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिआवश्यक इस्पात हो या बिजली अथवा प्लास्टिक पैकेजिंग) के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान काफी बड़ी मात्रा में ज़हरीले अपशिष्ट पैदा होते हैं जिनका निस्तारण या तो ज़मीन के भीतर या फिर पानी में कर दिया जाता है। तो क्या स्वच्छ भारत अभियान केवल सतही गंदगी को ही दूर करेगा?

अगर मोदी का 'मेक इन इंडिया' का सपना सच होता है तो स्वच्छ भारत अभियान एक त्रासदी बन जाएगा। जिस तरह उद्योगों की पर्यावरणीय कीमत प्रदूषण के रूप में हवा, ज़मीन और पानी को चुकानी होती है, उसी तरह उपभोगवादी अर्थव्यवस्थाओं की पर्यावरणीय व सामाजिक कीमत कचरे के रूप में राजनीतिक रूप से कमज़ोर और सदियों से सताए हुए समुदायों को चुकानी पड़ती है। यदि अपना कचरा दूसरों पर फेंकने का विकल्प बंद कर दिया जाए तो हमारी उपभोगवादी अर्थव्यवस्था खुद के ही पाखाने में डूब मरेगी। विकास अथवा उपभोग के सम्बंध में नई रणनीति बनाए बगैर साफ-सफाई की यह कोशिश करना उसी तरह होगा जैसा कि बाथरूम में भर आए पानी की समस्या को रोकने की कोशिश नल से आ रहे पानी को बंद किए बगैर करना।

कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक कमेंट पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि "स्वच्छ भारत अभियान बुर्ज़ुआ वर्ग का पर्यावरणवाद है जो बेहद सतही और प्रतिबद्धताओं से विहीन है। यह भी स्वच्छ गंगा अभियान से अलग नहीं होगा।" इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मेरी एक मित्र ने मुझसे आग्रह किया था कि मुझे अपनी आलोचना को वापस लेकर नए नेता को एक मौका देना चाहिए। मैंने उससे ऐसा ही करने का वादा किया। लेकिन स्वच्छता की शपथ लेने के बाद से आज तक मुझे ऐसे संकेत नहीं मिले जो गंदगी को हटाकर भारत को स्वच्छ बनाने की उम्मीद जगाते हों।

यदि प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को लेकर वाकई गंभीर हैं तो उन्हें कुछ और भी घोषणाएं करनी चाहिए। इन घोषणाओं को अमल में लाना वर्ष 2019 तक गंगा या देश को स्वच्छ बनाने की तुलना में ज़्यादा आसान होगा। उन्हें शुरुआत इनसे करनी चाहिएः

1. भोपाल गैस त्रासदी की 30वीं बरसी को मील का पत्थर मानते हुए उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वे प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार लोगों को यहां लाकर पूरे स्थल को ज़हरीले पदार्थों से मुक्त करवाएंगे।

2. ऐसे ही अन्य प्रदूषित औद्योगिक स्थलों, जैसे तमिलनाडु के कोडाईकनाल स्थित हिंदुस्तान युनीलीवर थर्मामीटर फैक्ट्री और उसके आस-पास के स्थलों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वच्छ किया जाएगा और इसकी पूरी कीमत भी प्रदूषण फैलाने वालों से ही वसूली जाएगी।

3. भारत ऐसी गतिविधियों से परहेज़ करेगा जिनसे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जिनका निस्तारण नहीं हो सकता, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। साथ ही यह भी घोषणा करनी चाहिए कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना छोड़ देंगे।

4. पैकेजिंग जैसे कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली नष्ट न होने वाली सामग्री का उपयोग धीरे-धीरे खत्म करने और

उनके स्थान पर वैकल्पिक सामग्री का उपयोग बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता दर्शानी चाहिए। इसके अलावा, ऐसी आदतें विकसित करने पर ज़ोर देना होगा कि पर्यावरण पर ज़्यादा भार न आए।

5. हाथ से मैला साफ करने की अमानवीय प्रथा का पूरी तरह खात्मा करने को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताना।

6. स्थानीय निकायों को इतनी धनराशि उपलब्ध करवाने के प्रति प्रतिबद्धता जताना ताकि वे सफाई कर्मियों को बेहतर वेतन और सुविधाएं मुहैया करवा सकें।

7. कचरा बीनने वालों के योगदान को स्वीकार कर उन्हें जहां से कचरा निकल रहा है, उसी स्रोत या उसके करीब उनकी पहुंच बनाना।

8. जैविक अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की विकेंद्रीकृत व्यवस्था को प्रोत्साहित करना ताकि कचरे का एक बड़ा हिस्सा डंप साइट पर आने से रोका जा सके।

भारत को पश्चिम की तुलना में एक अलग तरह का काम करने के लिए विकास के लक्ष्य पाने की ऐसी रणनीति बनानी होगी जो मात्र वृद्धि पर निर्भर न हो। उसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत सदियों पुराने जातिवाद, नस्लवाद और लिंगभेद के सड़े-गले मलबे को साफ करना होगा। उसे वृद्धि-विहीन विकास के लक्ष्य को पाने के लिए एक छोटे से उच्च एवं उच्च मध्यम वर्ग में हो रही बेहिसाब खपत की मात्रा को काफी हद तक कम करना होगा। जब तक हमारी सरकार प्रकृति के दोहन करने वाली अर्थव्यवस्था का अनुसरण करती रहेगी, तब तक भारत को स्वच्छ बनाना संभव नहीं होगा, भले ही कितने ही लोग और कितने ही स्कूली बच्चे हाथों में झाड़ू थाम लें। ***(स्रोत फीचर्स)***